खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
छत्तीसगढ़ गुड़ वितरण योजना
मार्गदर्शी सिद्धांत

बस्तर संभाग के सभी वर्तमान राशनकार्डधारी परिवारों को रियायती दर पर गुड़ उपलब्ध कराकर उन्हें एनीमिया से बचाने हेतु छत्तीसगढ़ गुड़ वितरण योजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2019–20 से किया जावेगा। योजना का नाम "मधुर गुड़ योजना" होगा।

उद्देश्य :–

बस्तर संभाग के सभी वर्तमान राशनकार्डधारी परिवारों को पौष्टिक गुड़ रियायती दर पर उपलब्ध कराना है।

हितग्राही :–

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत बस्तर संभाग के जिलों के समस्त अन्त्योदय, प्राथमिकता एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के समस्त राशनकार्डधारी इस योजना के हितग्राही होंगे।

गुड़ की पात्रता एवं दर :–

प्रत्येक हितग्राही परिवार को 17 रूपये प्रतिकिलो की दर से प्रतिमाह 2 किलोग्राम गुड़ की पात्रता होगी।

गुड़ का आबंटन एवं उठाव :–

1. खाद्य संचालनालय द्वारा बस्तर संभाग के जिलों में प्रचलित अन्त्योदय, प्राथमिकता एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के राशनकार्डो के संख्या के अनुसार दुकानवार आबंटन जारी किया जावे।
2. जिलें की गुड़ की पात्रता की गणना प्रति हितग्राही परिवार 2 किलो प्रतिमाह के मान से किया जावे।
3. योजना हेतु आवश्यक गुड़ का उपार्जन छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा किया जाये। निगम द्वारा प्रत्येक माह के आबंटन के अनुरूप गुड़ का उपार्जन कर वितरण हेतु अपने प्रदाय केन्द्रों में उपलब्ध कराया जावे।
4. जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदाय की जाने वाली अन्य आवश्यक वस्तुओं की भांति गुड़ के उठाव की प्रक्रिया होगी।
5. कलेक्टर, जिला प्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, लीड एवं लिंक सहकारी समितियां तथा उचित मूल्य दुकानों का यह उत्तरदायित्व होगा कि आबंटन के अनुरूप गुड़ माह के प्रथम सप्ताह में उचित मूल्य दुकान पर उपलब्ध हो।
6. गुड़ का वितरण मात्र उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से हितग्राहियों को किया जावे।

आबंटन कार्ड :–

इस योजना हेतु पृथक आबंटन कार्ड जारी नहीं किया जाएगा तथा हितग्राहियों के राशनकार्ड पर ही वितरित गुड़ की मात्रा एवं मूल्य का इन्द्राज उचित मूल्य दुकानदार द्वारा किया जावेगा। हितग्राहियों द्वारा राशनकार्ड प्रस्तुत करने पर ही योजनांतर्गत उन्हें पात्रतानुसार गुड़ प्राप्त करने का अधिकार होगा।

गुड़ का उपार्जन :–

योजना हेतु आवश्यक गुड़ का उपार्जन छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा किया जावेगा। गुड़ का उपार्जन छत्तीसगढ़ में उत्पादित गुड़ से नियमानुसार निगम द्वारा किया जावेगा। गुड़ के क्रय मूल्य के अलावा निगम द्वारा गुड़ का वितरण, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, 70 माईक्रॉन के ट्रांसपरेंट पॉलिपेक में तथा 1 किलो ग्राम की 20 थैलियों की 20 किलोग्राम क्षमता वाले सिंगल वॉल पेपरबोर्ड के डिब्बों में किया जावेगा। निगम द्वारा FSSAI द्वारा समय–समय पर निर्धारित स्पेशीफिकेशन **(परिशिष्ट–01)** अनुसार गुड़ का वितरण कराया जावेगा। अतः गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जावे। नागरिक आपूर्ति निगम के प्रदाय केन्द्रों के माध्यम से उचित मूल्य दुकानों को द्वार प्रदाय योजनांतर्गत गुड़ की आपूर्ति की जावेगी। उक्त योजना के अंतर्गत होने वाली व्यय की प्रतिपूर्ति नागरिक आपूर्ति निगम को राज्य शासन द्वारा की जायेगी।

पर्यवेक्षण :–

योजना का सफल एवं दीर्घकालीन क्रियान्वयन समुचित सहयोग, प्रोत्साहन और पर्यवेक्षण पर निर्भर है। इस योजना के पर्यवेक्षण हेतु निम्न व्यवस्था कराई जावे :–

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य दुकान स्तर पर गठित निगरानी समितियों को योजना के हितग्राहियों तथा हितग्राहियों की गुड़ की पात्रता तथा इसके उपभोक्ता मूल्य की समुचित जानकारी उपलब्ध कराई जावे।
2. योजनांतर्गत प्रदाय किये जाने वाले गुड़ हेतु जिला खाद्य कार्यालय नागरिक आपूर्ति निगम के जिला कार्यालय, उठाव एवं परिवहन करने वाली संबंधित एजेंसियों तथा उचित मूल्य दुकान में पृथक आबंटन एवं वितरण रजिस्टर तथा अन्य आवश्यक अभिलेखों का संधारण किया जाए।
3. जिले द्वारा प्रत्येक माह उठाए गए गुड़ का उपयोगिता प्रमाण–पत्र आगामी माह के प्रथम सप्ताह में अनिवार्य रूप से भेजा जाये।
4. पीडीएस कन्ट्रोल आर्डर 2016 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में जिलों द्वारा खाद्य संचालनालय एवं नागरिक आपूर्ति निगम को प्रति माह प्रस्तुत खाद्यान्न के उपयोगिता प्रमाण–पत्र की भांति इस योजना के गुड़ का मासिक उपयोगिता प्रामाण–पत्र भी जिला खाद्य कार्यालय द्वारा प्रत्येक माह खाद्य संचालनालय एवं नागरिक आपूर्ति निगम को उपलब्ध कराया जाए।
5. राज्य, जिला एवं अनुविभाग स्तर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की साप्तहिक समीक्षा बैठकों में योजना की नियमित समीक्षा की जाए।
6. योजना के किसी भी स्तर पर गुड़ के व्यपवर्तन अथवा दुरूपयोग अथवा योजना के निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधितों के विरूद्ध तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जाए।

प्रचार :–

यह शासन की अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है जिसकी सफलता योजना के हितग्राहियों का निर्धारण, उनकी पात्रता तथा गुड़ के उपभोक्ता मूल्य के पर्याप्त प्रचार–प्रसार पर निर्भर करती है। अतः जिला कलेक्टर इस योजना के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार हेतु समुचित उपाय करेंगे।